

## न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील/रसद/14/2017

माधो सिंह उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत खांगरी तहसील नदबई जिला  
भरतपुर

..... अपीलान्त

### **बनाम**

जिला रसद अधिकारी, (द्वितीय) भरतपुर

.....रेस्प0

प्रथम अपील विरुद्ध आज्ञा जिला रसद अधिकारी भरतपुर  
दिनांक 17-02-2017 प्रकरण 20/17 निरस्त करने  
प्राधिकार पत्र अन्तर्गत धारा 22 खाद्य सुरक्षा अधिनियम

उपस्थिति:-

- 1-विमल सिंह ऐडवोकेट अभिभाषक अपीलार्थी
- 2-प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार रसद

### **निर्णय**

दिनांक 19.6.2019

प्रार्थी वकील अनुपस्थित। ई.ओ. उपस्थित। प्रार्थी एवं प्रार्थी के वकील को कई बार  
आवाज लगवाई। बावजूद उप0 नहीं आये। अतः अपील अदम पैरवी अदम हाजरी  
में खारिज की जाती है। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

(डॉ. आरुषी मलिक )  
जिला कलक्टर  
भरतपुर